तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1635/2005/उदयपुर श्री नारायण लाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
06.9.18	**एकल पीठ** **श्री धूकलराम कसवाँ सदस्य** उपस्थित श्री अजीत लोढा अभिभाषक प्रार्थी श्री सुनील गर्ग उप अभिभाषक अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के आदेश दिनांक 4-4-05 के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने बाबत खारिज किया है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि कथित जिन्स गिरदारवरियों की सच्ची प्रतिलिपि कब्जे के लिये आवश्यक है तथा यह दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि है जो प्रार्थी अनपढ काश्तकार होने से वह समय पर नकलें प्राप्त नहीं कर सका एवं नकलें मिलते ही पेश कर दी गई थी, जिसे रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि जो दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं वह वादी पूर्व में भी पेश कर सकता था। वादी के बयान होने के बाद अब रेकार्ड पर नहीं लिये जा सकते हैं। अतः निगरानी खारिज की जावे। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आदेश 7 नियम 14(3) जाब्ता दीवानी में यह प्रावधित किया गया है कि ऐसा दस्तावेज, जिन्हें वादी द्वारा न्यायालय में तब पेश किया जाना चाहिये जब	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1635/2005/उदयपुर श्री नारायण लाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

वाद पत्र पेश किया जाता है या वादपत्र में जोडी जाने वाली या उपाबद्ध की जाने वाली सूचि में प्रविष्ट किया जाना चाहिये किन्तु तदनुसार पेश या प्रविष्ट नहीं किया जाता है,तब न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई पर उसकी ओर से साक्ष्य में नहीं लिया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने से इसलिये इन्कार किया है कि वह उक्त दस्तावेजात को पूर्व में ही पेश कर सकता था। जबकि प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन रहा है कि प्रार्थी अनपढ काश्तकार होने से वह समय पर नकलें प्राप्त नहीं कर सका एवं नकलें मिलते ही पेश कर दी गई थी। चूँकि प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां है जो निर्णय पारित करने में सहायक दस्तावेज हो सकते हैं। इसलिये उक्त दस्तावेजा को रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रूपये 1000/–(अक्षरे एक हजार रूपये)हर्जाने पर रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। हर्जाने की राशि प्रार्थी राजस्व बार उदयपुर में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी पर पेश करेगा। निर्धारित तारीख पेशी तक वांछित राशि अदा नहीं करने की स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बहाल माना जावेगा। चूँकि प्रस्तुत वाद विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 1998 से लम्बित है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। प्रार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–9–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य